

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या:- 101/2018

प्रार्थी:- ताराचंद पुत्र श्री जीवराज, जाति-मेघवाल, निवासी- गोयलो की ढाणी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:- तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक:- 12/1/2021

उपस्थिति:- श्री महेन्द्र प्रसाद गेंवा अधिवक्ता प्रार्थी
सरकारी पैरोकार अप्रार्थी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर बताया गया कि मौजा नारवा खींचियान तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में वह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में तारूराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही का नाम ताराचंद है, साक्ष्य के तौर पर स्वयं/पिता का उनके द्वारा राशनकार्ड, मूल, निवास, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड पेश किये गये हैं एवं निवेदन किया गया कि उसका/पिता का नाम ताराचंद अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्धिकरण किया जावे।

भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब पेश कर स्वीकार किया गया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना-पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना-पत्र व जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी नाम तारूराम मौजा नारवा खींचियान तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 471, 472 राजस्व रिकॉर्ड ताराचंद अंकित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड नाम शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते हैं।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 12-1-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

